निशुल्क पाठ्य पुस्तक शाला दर्पण 2020–21

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्ट के लिए विभिन्न चरण राज्य स्तर से विद्यालय व विद्यार्थी वितरण के लिए उपलब्ध है –

जिला डिपो –

- जिला डिपो द्वारा संबंधित जिलें के ब्लॉक नोडल को ऑनलाइन बुक्स के लिए वितरण मॉड्युल जिला एफटीबी लॉगिन पर उपलब्ध करवाया गया है–

ब्लॉक नोडल –

- प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक नोडल की व्यवस्था की गई है व प्रत्येक ब्लॉक नोडल के नीचे नोडल को मैप किया गया है ।

  संबंधित ब्लॉक नोडल से अधीनस्थ नोडल को बुक्स इश्युड का मॉड्यूल लिंक उपलब्ध करवाया गया है जिसके द्वारा डिपो से प्राप्त वर्तमान वर्ष की नयी पुस्तकों का वितरण प्रत्येक मैप्ड नोडल को किया जाना है।

पंचायत/शहरी नोडल –

- प्रत्येक पंचायत पर पीईईओ स्कूल व शहर क्षेत्र में निर्धारित विद्यालय को नोडल नामित किया गया है। जिसके नीचे उस परिक्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालय मैप्ड है।

  नोडल द्वारा अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के वितरण के लिए नोडल टू स्कूल डिस्ट्रीबुशन वितरण मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है जिसके द्वारा मैप्ड समस्त विद्यालयों निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना है।

स्कूल वितरण स्टोक एन्ट्री –

- समस्त राजकीय विद्यालयों के लॉगिन पर स्कूल स्टोक एन्ट्री लिकं द्वारा विद्यार्थियों को वितरित पुस्तकों का इन्द्राज किया जाना है।

नोडल –नोडल निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का स्थानान्तरण –

- ब्लॉक नोडल से प्राप्त पुस्तकों की कमी या आधिक्य की स्थिति में नोडल विद्यालय पर नोडल से नोडल स्थानान्तरण के लिए विकल्प उपलब्ध है जिसके द्वारा जिले के किसी भी नोडल को नयी पुस्तकों को स्थानान्तरित किया जा सकता है।

विद्यालय निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रोफाइल –

- विद्यालयवार समस्त विद्यालयों के लॉगिन पर निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रोफाइल लिंक उपलब्ध है जिसके माध्यम से विद्यालय में कक्षा वार संचालित पुस्तकों के चयन किये जाने का विकल्प उपलब्ध है।

  नोट – कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वैकल्पिक विषयों की मैपिंग विद्यार्थी वार शाला दर्पण लॉगिन पर प्रपत्र 7 में किया जाना अनिवार्य है।

निशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड 2021–22

निशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड 2021–22 शाला दर्पण पोर्टल से ऑटों जनरेट होगी जो निम्न निर्देशानुसार प्रकिया के तहत होती है –

विद्यालय वार डिमांड –

- कक्षा 1 व 2 के लिए डिमांड आधार वर्ष सत्र 2019–20 तय किय गया है अतः विद्यालय की कक्षा 1 व 2 के लिए मांग सत्र 2019–20 में नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार होगी।
- शेष कक्षाओं के लिए आधार वर्ष 2020–21 में नामांकित विद्यार्थी नामांकन होगा।
- कक्षावार मांग 2021–22 के लिए वर्तमान सत्र (2020–21) की कक्षा को आगामी कक्षा में अनुमानित करते हुए जनरेट की गई है। जैसे वर्तमान सत्र की कक्षा 3 में नामंकित को कक्षा 4 , कक्षा 4 में नामांकित को कक्षा 5 में ।
- कक्षा 11 की डिमांड वर्तमान सत्र में अध्ययनरत नामांकन के अनुसार तथा कक्षा 12 के लिए कक्षा 11 में अध्ययनरत नामांकन के अनुसार जनरेट किया गया है।
- कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए तृतीय भाषा के विषय की मांग डिमांड जनरेट के समय कक्षावार जनरेट अनिवार्य विषयों के की मांग के बराबर प्रविष्ट की जानी है जिसके लिए डिमांड मॉड्यूल में प्रविष्टि हेतु रिक्त स्थान दिया गया है।

नोडल वार समेकित डिमांड –

- नोडल के अधीनस्थ मैप्ड विद्यालयों की ऑटो जनरेट डिमांड को नोडवार समेकित डिमांड माड्यूल के द्वारा लॉक किया जाना है। जिसमें समस्त विद्यालय व नोडल पर उपलब्ध स्टॉक अनुसार मांग जनरेट होगी।

ब्लॉक नोडल वार समेकित डिमांड 2021–22 –

समस्त ब्लॉक नोडल पर अधीनस्थ नोडल की मांग को समकित रूप से जनरेट किये जाने का विकल्प उपलब्ध है –

- अधीनस्थ नोडल द्वार मांग लॉक के पश्चात ब्लॉक नोडल स्तर से ब्लॉक वार मांग लॉक कि जानी है जिसमें समस्त अधीनस्थ नोडल से प्राप्त समेकित मांग में निम्नानुसार ऑटो जनरेट वृद्धि के अनुसार लॉक किया जाना है –
- कक्षा 1 से 10 व 12 की प्राप्त समेकित मांग में 10 प्रतिशत अधिक।
- कक्षा 11 के लिए प्राप्त समेकित मांग में 35 प्रतिशत अधिक।
- अधीनस्थ समस्त प्राथमिक विद्यालयों की उच्चतम कक्षा 5 को कक्षा 6 में अनुमानित नामांकित मानते हुए समेकित मांग में योग ।
- अधीनस्थ समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उच्चतम कक्षा 8 को कक्षा 9 में अनुमानित नामांकित मानते हुए समेकित मांग में योग ।
- ऐसे विद्यालय जो 6–8, 6–10 अथवा 9–10 है ऐसे विद्यालयों में एन्ट्री कक्षा 6 होने के कारण कक्षा 5 का नामांकन उपलब्ध नहीं होने के कारण कक्षा 6 की डिमांड विद्यालय स्तर पर जनरेट न होकर ब्लॉक नोडल पर जनरेट होगी जहां से वितरण के समय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन अनुसार वितरण कर दिया जावेगा।

समस्त विद्यालयों व नोडल विद्यालयों की पोर्टल पर सत्र 2021–22 की मांग दिनांक 28–12–2020 तक लॉक किया जाना अनिवार्य है।